न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र नम्बर :– 97/2022

जीसीएमएस नम्बर :– 2022/206

उनवान

1. रतनी पत्नि शंकरलाल तेली निवासी टुंगच तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. अणछीबाई पत्नि सोहनलाल तेली निवासी टुगंच तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. बड़ौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मोखुन्दा तहसील रायपुर जरिए शाखा प्रबन्धक
3. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. हरिशचन्द टेलर – अधिवक्ता प्रार्थी
2. ज़ाकिर हुसैन रंगरेज – अधिवक्ता विपक्षी 1
3. विपक्षी संख्या 2 एकपक्षीय

निर्णय

दिनांकः– 26/5/2026

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि –

1. राजस्व ग्राम टूगंच पटवार हल्का टूगंच तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीया एव विपक्षी संख्या 1 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की निम्न आराजियात स्थित हैः–

क्र.स.	खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा
1	141	558	0.23
2	141	559	1.50
3	141	560	0.63
4	141	561	0.19
5	141	562	1.46
6	141	563	0.48
7	141	564	0.26
8	141	565	0.02 गै.मु. आचा
9	141	566	0.19
10	141	567	0.18
11	141	571	0.11
	कुल किता कुल रकबा	11	5.25

नकल जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 मय नक्शा ट्रेस वादपत्र के साथ पेश है।

2. प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर 01 में अंकित आराजियात में प्रार्थीयां का 1/2 हिस्सा निहित होकर दर्ज रेकार्ड है। तथा विपक्षीयां संख्या 01 अणछीबाई का 1/2 हिस्सा निहित हैं। तथा हिस्सेनुसार प्रार्थीयां एवं विपक्षीया अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रही हैं।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)रायपुर

Scanned with OKEN Scanner

3. प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर 01 में अकित आराजियात सामलाती दर्ज रेकार्ड रहने से प्रार्थीया को लगान जमा करवाने, भूमि को उपजाऊ बनाने, विकसित करने व अन्य राजकीय लाभ प्राप्त करने में भारी अडचने पैदा होती रहती हैं। जिससे प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात में निहित प्रार्थीयां का 1/2 हिस्सा की भूमियों का विभाजन करवाया जाना आवश्यक हो गया हैं। इसलिये कब्जे के आधार पर विभाजन करवा अलग राजस्व खाता रेवेन्यु रेकार्ड में प्रार्थीया खुलवाना चाहती हैं। व अलग स्वतंत्र कब्जा प्रार्थीया प्राप्त करना चाहती हैं। तथा अपने हिस्से का लगान का निर्धारण भी अलग से करवाना चाहती हैं। इस हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।
4. वाद वर्णित आराजियात में विपक्षीया संख्या 01 अणछीबाई व इसका पति सोहनलाल आये दिन प्रार्थीया के हिस्से की भूमि में नाजायज दखलदांजी करते रहते है व प्रार्थीया को शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त नही करने देते है तथा उसके उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करते है व हस्तक्षेप और विभाजन के लिए भी टालम टोल करते है तथा प्रार्थीया को जबरन ताकत के बल पर प्रार्थीया को उसके हक एवं हिस्से की भूमि से बेदखल करने की धमकियां देते व धमकी देते है कि इस भूमियों में तुम्हारा कोई हक एवं हिस्सा नही है जिससे विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा का फरमाया जाना आवश्यक हो गया है।
5. प्रार्थीया का प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित है, और सुविधा सन्तुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में है। तथा प्रार्थीया वाद में वर्णित आराजियात में 1/2 हिस्से की खातेदार काश्तकार होकर अपने हिस्से की भूमियों पर काबिज होकर काश्त लाभ प्राप्त कर रही है। व कुएं मे निहित अपने 1/2 हिस्से अनुसार पानी का उपयोग उपभोग कर रही है, किन्तु विपक्षीया प्रार्थीया को उसके हक हिस्से की भूमियों से जबरन ताकत के बल पर मौके से बेदखल करना चाहती है व आए दिन प्रार्थी के कब्ले काश्त में दखलदांजी करती है जिससे उनके विरूद्व ताफैसला मूलवाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाया जाना नितान्त आवश्यक हो गया है।
6. अतः श्रीमान् से सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीया का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला मूलवाद अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीया के पक्ष में व विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की सादिर फरमाई जावे कि ग्राम टूगंच पटवार हल्का टूंगच की बैरून हल्का आबादी के खाता संख्या 141 में अंकित कुल किता 11 कुल रकबा 5.25 है0 भूमि स्थित है, मै निहित प्रार्थीया के 1/2 हिस्से में विपक्षीगण किसी प्रकार की नाजायज दखलदांजी ने तो स्वयं करे, न किसी अन्य से करावे। प्रार्थीयां को जबरन ताकत के बल पर उसके हक एवं हिस्से की भूमि से न तो स्वंय बेदखल करें, न किसी अन्य से करावें। प्रार्थीया को उसके हिस्से की भूमियों में शान्ति पूर्वक कब्जे काश्त करने देवें। व किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करें न किसी अन्य से करावे।
7. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 03.06.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन जारी किए गए। सम्मन की पालना में विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता जाकिर हुसैन रंगरेज उपस्थित एवं विपक्षी संख्या 2 बावजुद सूचना के उपस्थित नहीं होने से दिनांक 25.05.2026 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई एवं विपक्षी संख्या 3 तहसीलदार रायपुर औपचारिक पक्षकार है।
8. विपक्षी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकन किया कि कि प्रार्थनापत्र की कलम संख्या एक में अंकित कृषि आराजियात पर प्रार्थीया का कोई कब्जा काश्त नहीं हैं। उक्त संपूर्ण भूमियों

सहायक कलक्टर
(राज.डी.ओ.) रायपुर

Scanned with OKEN Scanner

को विपक्षी सख्या एक द्वारा क्रय कर रखी हैं तथा सपूर्ण भूमियों पर विपक्षी सख्या एक ही काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। वादग्रस्त सपूर्ण भूमियों में 1/2 हिस्सा जो खातेदार विनोद कुमार, खुशी कुमार, अशोक कुमार पिता बस्तीलाल जी महाजन वगैरा निवासी मोखुन्दा के नाम दर्ज रेकॉर्ड थी को दिनांक 02.05.2007 को विपक्षी संख्या एक ने बिल एवज 235000/–रूपए में क्रय कर ली व विक्रय मूल्य की संपूर्ण राशी दिनांक 2.7.2007 से पूर्व खातेदारान को अदा कर दी व जमीन का 1/2 हिस्सा का कब्जा विनोद वगैरा ने विपक्षी संख्या एक को सिपुर्द कर दिया परंतु अशोक कुमार ने कहा कि हम सब भाई बाहर हैं जब भी गांव आएगे तुम्हारे नाम पर रजिस्ट्री करवा देंगे। विपक्षी सख्या एक ने उनकी बात पर विश्वास कर लिया। परतु उक्त भूमी के खातेदारान विनोद कुमार, खुशी कुमार, अशोक कुमार पिता बस्तीलाल जी महाजन वगैरा ने विपक्षी संख्या एक को धोखा देते हुए उनके 1/2 हिस्से को पूर्व में विपक्षी सख्या एक को विक्रय कर देने के बाद भी प्रार्थीया को विक्रय कर दिया जिसकी जानकारी विपक्षी संख्या एक को नहीं होने दी जबकि मौके पर सपूर्ण भूमी पर विपक्षी सख्या एक ही काबिज है। प्रार्थीया द्वारा उक्त भूमी खरीदने के बाद अपने नाम नामान्तरण दर्ज करवा लिया परतु कभी मौके पर नहीं आई तथा न ही कभी काश्त की है। विपक्षी संख्या एक को विपक्षी संख्या एक द्वारा पूर्व में क्रय की गई भूमी को प्रार्थीया द्वारा खरीदने की जानकारी प्रार्थीया द्वारा यह विभाजन का वाद पेश करने व इसकी तामील विपक्षी संख्या एक पर होने के बाद हुई हैं। विपक्षी संख्या एक पूर्व खातेदारान व प्रार्थीया के विरुद्ध फौजदारी कार्यवाही अलग से संचालित कर रही हैं। प्रार्थीया विपक्षी संख्या एक द्वारा पूर्व में क्रय कर रखी उक्त वादग्रस्त भूमी के 1/2 हिस को धोखे से क्रय कर राजस्व रेकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा दिया हैं। प्रार्थीया का उक्त भूमि पर हक व हिस्सा नही है तथा न ही प्रार्थीया का कोई कब्जा काश्त नही है। वादग्रस्त भूमी में प्रार्थीया का कोई हक एवं हिस्सा नहीं हैं। प्रार्थीया के नाम उक्त वादग्रस्त भूमी में 1/2 हिस्सा राजस्व रेकॉर्ड में अवश्य दर्ज हैं परंतु उक्त भूमियों में प्रार्थीया का कोई हक एवं हिस्सा नहीं हैं तथा न ही वादीया का कोई कब्जा काश्त ही हैं। उक्त सपूर्ण भूमियों को विपक्षी संख्या एक द्वारा पूर्व में क्रय कर रखा हैं जिरासे प्रार्थीया 1/2 हिस्से का विभाजन कराने की अधिकारी नहीं है। विपक्षी संख्या द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमी में 1/2 हिस्से को भी पूर्व खातेदारान से क्रय कर लिया था जिससे काननून एक बार विक्रय हो जाने पर उसी संपत्ति का पश्चात्वर्ती विक्रयपत्र शुन्य हैं तथा क्रेता को पश्चात्वर्ती विक्रयपत्र के आधार पर किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं जिससे उक्त वादग्रस्त भूमियों में प्रार्थीया के नाम दर्ज 1/2 हिस्से से प्रार्थीया का नाम हटा कर विपक्षी संख्या एक को खातेदार काश्तकार घौषित करने का काउटर क्लेम अलग से पेश हैं। प्रार्थीया ने पश्चातवर्ती विक्रयपत्र के आधार पर वादग्रस्त भूमीयों में अपना 1/2 हिस्सा दर्ज करवा लिया है जो गलत होकर अवैध हैं। पश्चातवर्ती विक्रयपत्र के आधार पर वादग्रस्त भूमी में प्रार्थीया के नाम नामान्तरण दर्ज हो जाने से प्रार्थीया को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। नामान्तरण की कार्यवाही एक फिस्क्ल प्रोसिडिंग है जिसमे टाईटल का निर्धारण नहीं होता हैं। उक्त वादग्रस्त संपूर्ण भूमीयों पर विपक्षी सख्या एक करीब 16 साल से निरतर एव निर्बाध रूप से काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। प्रार्थीया का उक्त भूमी में कोई कब्जा काश्त नहीं हैं। प्रार्थीया विपक्षी संख्या एक को वादग्रस्त भूमी से बेदखल करने पर आमादा हैं तथा पश्चातवती विक्रयपत्र के आधार पर वादग्रस्त भूमी में अपने

सहायक कलक्टर

Scanned with OKEN Scanner

नाम दर्ज 1/2 हिस्से को रहन, बय, बक्षीस करने पर आमादा हैं जिससे प्रार्थीया के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी फरमाया जाना न्यायोचित हो गया है। काउन्टर क्लेम में जवाब के वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि बहक विपक्षी सख्या एक विरूद्ध प्रार्थीया ताफैसला मूलवाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा सादिर फरमाई जाए कि ग्राम टुंगच पटवार हल्का टुंगच के खाता संख्या 141 में अकित कृषि आराजियात कुल कित्ता 11 कुल रकबा 5.25 हैक्ट. में प्रार्थीया विपक्षी सख्या एक के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी न तो स्वय करे न किसी अन्य से करावे तथा वादग्रस्त भूमियों को रहन. बय, बक्षीस नहीं करे तथा मौके एवं राजस्व रेकॉर्ड की यथा स्थिति बनाए रखे तथा विपक्षी सख्या एक को जबरन बेदखल नहीं करे। यदि दौराने वाद प्रार्थीया वादग्रस्त भूमियों को रहन, बय, बक्षीस कर विपक्षी संख्या एक को जबरन ताकत के बल पर वादग्रस्त भूमियों से बेदखल कर देवे तो जरिए आदेशात्मक आज्ञा के विपक्षी संख्या एक के नाम दर्ज करवा कब्जा पुन विपक्षी संख्या एक को दिलाया जाए

9. प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ता ने निवेदन किया कि मूलवाद के निस्तारण तक मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु दोनों पक्ष सहमत है।

10. न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करते हुए उभयपक्ष अधिवक्ता के निवेदन पर विचार किया तो पाया कि मूलवाद प्रकरण संख्या 50/2022 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 एवं 188 के अन्तर्गत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद है जो वर्तमान में साक्ष्य वादी के स्तर पर विचाराधीन है। वादग्रस्त आराजियात के सम्बन्ध में उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु सहमति प्रकट की गई है एवं मूलवाद निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किए जाने का निवेदन किया गया है। वादग्रस्त आराजियात को उभयपक्ष द्वारा रहन, बय, बक्षीस कर दिया जाए एवं मौके तथा रेकॉर्ड की स्थिति में परिर्वतन कर दिया जाए तो खातेदारों को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना है एवं मौके पर विवाद उत्पन्न होने की आंशका रहेगी एवं मौके पर परिवर्तन होने पर प्रकरण के विचारण एवं निर्णयन में अनावश्यक विलम्ब होगा तथा विवादो की बहुलता की संभावना बनती है। ऐसी स्थिति में उभयपक्षों की सहमति के आधार पर मूलवाद के निस्तारण तक प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—:: आदेश ::—

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट स्वीकार कर मूलवाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि ग्राम टुंगच पटवार हल्का टुंगच के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीया व विपक्षी संख्या 1 के संयुक्त निम्न आराजियात स्थित है –

क.स.	खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा
1	141	558	0.23
2	141	559	1.50
3	141	560	0.63
4	141	561	0.19
5	141	562	1.46
6	141	563	0.48
7	141	564	0.26
8	141	565	0.02 गै.मु. आचा

Scanned with OKEN Scanner

9	141	566	0.19
10	141	567	0.18
11	141	571	0.11
	कुल किता कुल रकबा	11	5.25

उक्त वर्णित भूमि में उभयपक्ष किसी प्रकार की नाजायज दखलदांजी ने तो स्वयं करे, न किसी अन्य से करावे। उभयपक्ष को जबरन ताकत के बल पर उसके हक एवं हिस्से की भूमि से न तो स्वंय बेदखल करें, न किसी अन्य से करावें। उभयपक्ष को उसके हिस्से की भूमियों में शान्ति पूर्वक कब्जे काश्त करने देवें। व किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करें न किसी अन्य से करावे। इस प्रकरण संख्या 97/2022 में पूर्व में इस न्यायालय द्वारा जारी यदि कोई आदेश हो तो उसे इस आदेश से प्रतिस्थापित किया जाता है। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को आदेश की प्रति के साथ लिखा जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 26/5/2026 को सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर, जिला भीलवाड़ा